



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,
Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-PBB330/2023-CHA



दिनांक: March, 2023

सेवा में

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.),
पंजाब सरकार, फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै-68,
एस.ए. एस नगर(मोहाली), पंजाब |
(fcaforest@gmail.com)

विषय: Diversion of 0.2655 Ha of Forest land permission for Laying 24" dia Sewerage and water Supply pipe from 31.100 Km to 32.350 Km (RHS) from Km 32.350 to Km 32.870 (LHS) by open Cut Method along NH-64 (New NH-07) Zirakpur –Patiala road Tehsil: Rajpura under Forest division Patiala.(online proposal no.FP/PB/Pipeline/156684/2022)-reg.

सन्दर्भ: i). अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन एवं वन्यप्राणी), पंजाब सरकार FCAOFC2P/93/2022-FCA दिनांक 23.02.2023.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बंधित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.2655 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे: -

- As per CA scheme 531 plants proposed to be planted as double the degraded land($0.2655 \times 2 = 0.531$), whereas in land suitability certificate plantation area is proposed 1.062 ha.(500 plants/ha.). Clarification is needed.
- SOI toposheet of CA site is not uploaded under part-II 13(iv).

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करे, जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

-sd-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

- The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Patiala, Punjab(dfopta@gmail.com)
- The Executive Engineer, Punjab Water Supply and Sewerage Division No.1 Patiala, Punjab.(eeep1.pwssb@punjab.gov.in)